परिपत्र संख्या 14/11

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक एफ 7(39)जन/11/ 22194-570 दिनांकः 23-9-11

1. अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर

2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन
   एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राज0

3. समस्त उप पंजीयक,
   राजस्थान

परिपत्र

विषय :- स्टाम्प शुल्क की राशि नकद रूप में जमा करने के संबंध में निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान पंजीयन नियम-1955 के नियम-96 के तहत मुद्रांक शुल्क की राशि नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट और चालान के माध्यम से जमा कराने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.2(67)एफ.डी./टैक्स/2006 पार्ट-71 दिनांक 10.12.09 द्वारा जारी कर उपरोक्त राजस्थान पंजीयन नियम-1955 के नियम-96 में संशोधन द्वारा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 10,000 से अधिक नकद रूप में जमा नहीं करने का प्रावधान किया गया है।

उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्याान में आया है कि अभी भी अधिकांश उप पंजीयकगण द्वारा स्टाम्प शुल्क की राशि ₹ 10,000 से अधिक मात्रा में जमा की जा रही है। कई उप पंजीयक कार्यालय में तो यह राशि लाखों रूपयों की मात्रा में नकद रूप में जमा की जा रही है। अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि अधिक मात्रा में नकद रूप से जमा करने से कार्यालयों में उसकी सुरक्षा एवं बैंक में जमा करवाने में ले जाने में अधिक जोखिम रहती है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अतिरिकत मुद्रांक शुल्क की राशि उपरोक्त प्रावधानानुसार राशि ₹ 10,000 से अधिक जमा न करें। पक्षकारों को पूर्ण मुद्रांक पर ही दस्तावेज का निष्पादन करने के लिए प्रेरित करें।

भविष्य में उच्चाधिकारियों के निरीक्षण आदि के दौरान ऐसे मामले पाये जाते हैं जिनमें अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 10,000 से अधिक जमा की गई है तो उसे विभागीय निर्देशों/प्रावधानों की अवहेलना मानते हुए गम्भीरता से लिया जावेगा एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-Circular-11

क्रमांक एफ 7(39)जन/11/ 22571-650 दिनांकः 23-9-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर